

## कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/ दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2011-12/2166 दिनांक 27/9/12

### विज्ञप्ति

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक F 23( ) लेखा/निकाशि/ दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2012-13/ 2647 दिनांक 13.08.2012 के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के आवेदन पत्र महाविद्यालयों में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15.09.2012 रखी गयी थी जिसे निर्देशानुसार इस तिथि में 15.10.2012 तक की अभिवृद्धि की जाती है। इसके साथ ही संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्णतया जांच पश्चात् 19 अक्टूबर, 2012 तक कार्यालय समय में निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे।

(सुबीर कुमार)

निदेशक, पदेन विशिष्ट शासन सचिव  
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./स्कूटी क्रय/ 2012-13/2167-2173 दिनांक 27/9/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में राजस्थान के समस्त संसकरणों में निःशुल्क प्रकाशित करने का श्रम करें। इस हेतु विज्ञप्ति की पांच प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. श्री देवर्षी जी विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।

(डॉ. सी.एम.खटीक)

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)  
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर